पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''बहुत बाबरकत है वह (अल्लाह) जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है जिसने मौत और ज़िन्दगी को इसलिये पैदा किया कि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वह ग़ालिब और बख्शने वाला है'' (सूरे मुल्क १-२)

अज़ान की फज़ीलत

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान हवा निकालते हुए पीठ मोड़ कर चल देता है। जब अज़ान हो चुकी होती है तो फिर आता है जब नमाज़ की तकबीर होती है तो पीठ मोड़ कर भागता है, जब तकबीर हो चुकी होती है तो फिर वापस आता है और उसके दिल में वसवसा डालता है। (शैतान) कहता है कि अमुक बात याद करो। वह बातें याद दिलाता है जो नमाज़ी को याद ही नहीं थीं अन्ततः वह भूल जाता है कि उसने कितनी रकातें पढ़ी थीं। (सहीह बुखारी-किताबुल अज़ान)

पांचों नमाज़ों के लिये अज़ान के जो अरबी कलिमात (वाक्यसूत्र) कहे जाते हैं उनका अनुवाद यह हैः

'' अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) हैं, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं आओ नमाज़ की तरफ, आओ नमाज़ की तरफ, आओ कामायबी की तरफ, आओ कामियाबी की तरफ, अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं''।

इसका अर्थ यहां इस लिये प्रस्तुत किया गया है कि गैर अरबी भाषी लोगों में से अधिकांश को इसका अर्थ नहीं मालूम है।

एक मुसलमान के नज़दीक अल्लाह को एक मानने का मतलब यह है कि अब वह अपने पालनहार के आदेशों का पाबन्द हो जाये, उसके जीवन में सबसे अहम काम अल्लाह का आदेश हो। अज़ान के इन कलिमात में अल्लाह की प्रशंसा की गई है, उसका परिचय बताया गया है, नमाज़ की अहमियत से अवगत कराया गया है, अज़ान के ज़रिये एक ईमान वाले को पुकारा जाता है कि नमाज़ एक मोमिन की ज़िन्दगी में बड़ी अहमियत रखती है, अज़ान होने के बाद सारे काम बेअहम हो जाते हैं, जो शख्स अज़ान होने के बाद भी अपने कामों में लगा रहे और नमाज़ के लिये मस्जिद न जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा शख्स अपने काम को ज़्यादा अहमियत दे रहा है।

आज यही स्थिति है अधिकतर लोग अज़ान होने के बाद अपने दुनियावी कामों में इतने मसरूफ और व्यस्त होते हैं कि उनको नमाज़ के बारे में कोई चिंता नहीं होती यह इस बात की दलील है कि वह गफलत की ज़िन्दगी जी रहे हैं। उपयुर्क्त में अज़ान के अरबी कलिमात के जो अर्थ बताए गये हैं, उनको अपने घरों में बच्चों को भी बताते रहना चाहिए, इसलिये कि आज भी अज़ान के कलिमात के बारे में कुछ लोग भ्रांतियों के शिकार हैं अज़ान देते वक़्त किसी दुनियावी बादशाह का नाम नहीं लिया जाता है बल्कि पूरे संसार के पालनहार और स्वामी का नाम लिया जाता है। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें अज़ान की फजीलतों को पाने की क्षमता दे।

मासिक

इसलाहे समाज

मई 2023 वर्ष 34 अंक 5

ज़ीक़ादा 1444 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. अज़ान की फ़ज़ीलत 2
2. शिक्षा और चिरित्र 4
3. पवित्र कुरआन की फज़ीलत 5
4. हज और उमरा कैसे करें? 07
5. कुर्बानी के अहकाम व मसाइल 10
6. आत्मघाती हमलों के बारे में इमाम मुहममद बिन सालेह अल उसैमिन रह० का जवाब 14
7. प्रेस रिलीज 17
8. हज़रत मुहम्मद स० की शिक्षाएं... 18
9. बीमार का हाल चाल मालूम करने का पुण्य 21
10. नज़्म 22
11. कार्य समिति के सत्र में आतंकवाद की निंदा की गई 24
12. अपील 27
13. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

शिक्षा और चरित्र

नौशाद अहमद

शिक्षा इन्सान की बुनियादी ज़रूरतों में से है, इस्लाम धर्म ने शिक्षा को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ क़रार दिया है। कुरआन की एक सूरत में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इन्सान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तू पढ़ता रह तेरा रब बड़े करम वाला है। जिसने क़लम के ज़रिये (ज्ञान) सिखाया। जिसने इन्सान को वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था'' (सूरे अलक़१-५) इसी तरह से अल्लाह के रसूल (पैग़म्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है'' (बुखारी)

ज्ञान दुनिया के लिये भी ज़रूरी है और दीन को समझने के लिये भी ज़रूरी है। इस वक़्त ज्ञान के जो लाभकारी स्रोत हैं उनको बढ़ावा देने और विकसित करने में मुसलमानों का हर दौर में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रही है लेकिन बाद के दौर में मुसलमान शैक्षणिक तौर पर पतन के शिकार हो गये, जब तक शिक्षा से संबन्ध रहे उनके जीवन में खुशहाली रही, अपने धार्मिक कर्मों और कर्तव्यों के भी पाबन्द रहे दुनिया की निगाह में सम्मान की निगाह से देखे जाते रहे, अब तो टेक्लालॉजी का दौर है इसके बग़ैर आधुनिक शिक्षा के लाभ को पाना असंभव ही नहीं बिलकुल असंभव है। शिक्षा जहां एक इन्सान को समाज में आर्थिक रूप से मज़बूत होने का अवसर देती है वहीं हम से यह मांग भी करती है कि शिक्षा के माध यम से हम अपने आप को एक अच्छा इन्सान बनायें, सहीह और गलत में अन्तर करने की योग्यता पैदा करें, दूसरों की ज़रूरतों की पूर्ति का माध्यम बनें, समाज को बेहतर बनाने के लिये अपना बहुमूल्य वक़्त लगायें, जो शिक्षा के संबन्ध में गफलत में पड़े हुए हैं उनके अन्दर शिक्षा की प्राप्ति के लिये जागरूगता पैदा करें। चरित्र को अच्छा बनाने की भी पालीसी बनायें और शिक्षा को बेहतर बनाने की भी पालीसी बनायें, गफलत बहुत हो चुकी। ऐसी शिक्षा का क्या महत्व रह जाता है जो किसी को स्वार्थ की तरफ ले जाती है, सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रेरणा देती हो इसलिये ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ चरित्र व आचरण को भी बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए इसी लिये इस्लाम धर्म ने शिक्षा के साथ चरित्र को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया है ताकि शिक्षा अपने व्यवहारिक रूप में नज़र भी आये क्योंकि बिना अच्छे चरित्र के शिक्षा महत्वहीन हो जाता है। आज से कुछ वर्षों पहले चरित्र को बेहतर बनाने के लिये उसी के अनुसार पाठ्यक्रम संकलित किये जाते थे लेकिन आज उच्च शिक्षा के लिये जो पाठ्यक्रम बनाये जा रहे हैं उनमें नैतिकता के पाठ का अभाव पाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के इस दौर में नैतिकता, अच्छा चरित्र और लाभकारी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में एक अच्छा इन्सान और राष्ट्र एवं समुदाय के लिये कारगर बना सकती है।

❑❑❑

पवित्र कुरआन की फज़ीलत (2)

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

आयतुल कुर्सी का अनुवादः

“सिवाए अल्लाह के कोई माबूद (पूज्य) नहीं, वह हमेशा (जिन्दा) है इन्तिज़ाम करने वाला, न उसको ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आकाश और ज़मीन में है सब उसी की मिल्क (संपत्ति) है (किसी की) हिम्मत नहीं कि उसके सामने चूं करे) कौन है जो बिना इजाज़त उसके पास (किसी की) सिफारिश करे वह लोगों के आगे पीछे की सब चीज़ें जानता है और लोग उसकी मालूमात से कुछ भी नहीं जान सकते मगर जितना खुद ही (बतलाना) चाहे। उसकी कुर्सी ने तमाम जमीन व आसमान को घेर रखा है और उनकी हिफाज़त (सुरक्षा) से वह थकता नहीं और वह बुलन्द और बड़ी बड़ाई वाला है” (सूरे बक़रा-२५५)

४. पवित्र कुरआन एक महान चमत्कार

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हर एक रसूल को उसी तरह से चमत्कार मिले जैसा कि इससे पहले पैगम्बरों को मिल चुके थे, फिर इस पर कुछ लोग ईमान लाये, मुझे जो चमत्कार (मोजिज़ह) मिला वह कुरआन है जिसे अल्लाह तआला ने मुझ पर अवतरित किया है मुझे आशा है कि मेरे अनुयायी सबसे ज़्यादा होंगे। इसे इमाम बुखारी (४६९६) और इमाम मुस्लिम (८१) ने रिवायत किया है।

५. कुरआन के ज्ञानी पर रश्क जाइज है

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “दो तरह के लोगों पर ही रश्क किया जा सकता है। एक वह जिसे अल्लाह ने पवित्र कुरआन का ज्ञान दिया हो और वह इसे दिन रात पढ़ता हो। दूसरा वह आदमी जिसे अल्लाह ने माल दे रखा हो और वह इस माल को रात दिन खर्च करता हो। (सहीह बुखारी ४७३७ सहीह मुस्लिम ८१५)

६. पवित्र कुरआन का ज्ञान रखने वाले का सम्मान अल्लाह तआला का सम्मान हैः

अबू मूसा अब्दुल्लाह बिन क़ैस अश्अरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः वयोवृद्ध और उमर दराज़ मुसलमान और कुरआन के हाफिज़ (याद रखने वाले) की जो न इसमें अतिश्योक्ति करने वाला हो और न इससे दूर पड़ जाने वाला हो और न्यायवादी बादशाह की इज्ज़त वास्तव में अल्लाह तआला के सम्मान का एक हिस्सा है।”

इसे इमाम दाऊद रह० (४८४३) ने रिवायत किया है। इमाम नौवी रह० ने रियाजुस्सालिहीन (३५८) में इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल एतदाल ४/५६६ में, इमाम इब्ने मुफ्लेह ने अल आदाबुश शरीआ

१/४३४ में, इमाम एराक़ी ने एहयाउल उलूम की तख़रीज २/२५४ में हाफिज़ इब्ने हजर ने आत्तलखीसुल हबीर २/६७३ में और शैख अल्बानी रह० ने सहीह अबू दाऊद में इसे हसन क़रार दिया है।

७. पवित्र कुरआन का ज्ञान रखने वाला इमामत का ज़्यादा पात्र हैः अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जो शख्स कुरआन को ज़्यादा जानता हो, वह लोगों की इमामत करेगा, अगर कुरआन में सब लोग बराबर हों तो फिर इमामत वह शख्स कराये गा जो सुन्नत ज़्यादा जानता हो। अगर सुन्नत के ज्ञान में सब बराबर हों तो फिर जिसने पहले हिजरत की होगी वह इमामत करेगा। अगर हिजरत के मामले में भी सब बराबर हों तो जिसने पहले इस्लाम कुबूल किया होगा वह इमामत का फरीज़ा अंजाम देगा'' (इसे इमाम मुस्लिम (६७३) ने रिवायत किया है।

८. कुरआन की चन्द आयतों की तिलावत बहुत सारे दुनियावी माल व दौलत से बेहतर हैः

उक़्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम एक मौके पर निकले उस वक़्त हम सुफ्फा में मौजूद थे आपने पूछा ''तुम में से कौन चाहता है कि वह हर दिन बतहान या अक़ीक़ नामक बाज़ारों में जाये और वहां से दो बड़े कोहानों वाली ऊंटनियां लाये, कोई पाप किये या किसी रिश्ता नाता को तोड़े बग़ैर? हमने कहाः हम सब इसे चाहते हैं आप ने फरमायाः तो फिर तुम में से एक शख्स क्यों मस्जिद में जा कर अल्लाह की किताब की दो आयतें नहीं पढ़ाता या पढ़ता और यह उसके लिये दो ऊंटनियों से बेहतर हों या तीन आयतें और यह तीन ऊंटनियों से बेहतर हों या फिर चार आयतें जो उसके लिये चार ऊंटों से बेहतर हों या उससे अधिक आयतें जो इससे अधिक ऊंटों से बेहतर हों। (सहीह मुस्लिम ८०३)

९. कुरआन का माहिर फरिश्तों के साथ होगा और कुरआन को अटक अटक कर तिलावत करने वाला दोहरे सवाब का पात्र हो गाः

उम्मुल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कुरआन का माहिर इन्सान बाइज्ज़त और पवित्र स्वभाव वाले फरिश्तों के साथ हो गा लेकिन जो कुरआन पढ़ता है उसमें अटकता है और उस पर कुरआन पढ़ना कठिन होता है तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा'' (सहीह मुस्लिम-७९८)

१०. पवित्र कुरआन से खाली सीना वीरान घर की तरह हैः

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''बेशक जिस इन्सान के पेट (सीने) में कुरआन का कोई हिस्सा नहीं होता वह वीरान घर के समान है'' इसे इमाम तिर्मिज़ी (२६१३) ने रिवायत किया है और कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है। शैख अलबानी रह० ने इसे सहीह तिर्मिज़ी में सहीह क़रार दिया है।

हज और उमरा कैसे करें?

शैख मुहम्मद सालेह
अल उसैमीन

हज और उमरा करने का सबसे बेहतर तरीक़ा वह है जो नबी स०अ०व० से मनकूल (बयान) किया गया है ताकि हज और उमरा करने वाला अल्लाह की मुहब्बत और उसकी मग़फिरत को पा ले। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है :

''ऐ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी इत्तेबा करो खुद अल्लाह तआला तुम से मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख़्श देगा'' (सूरे आल इमरान-३१)

(१) जब आप उमरा के लिये एहराम का इरादा करें तो गुस्ल (स्नान) करें जिस तरह नापाकी का स्नान करते हैं। फिर एहराम के कपड़े लुंगी और चादर पहनें। औरतें ज़ीनत व सिंगार के अलावा जो कपड़े चाहें पहनें फिर यह दुआ पढ़ें।

''लब्बैक उमरतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेअ्मता लका वल मुलका ला शरीका लका'' यानी ऐ अल्लाह! उमरा के लिये हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे पास हाज़िर हूं बेशक तारीफ, नेमत और मुल्क (बादशाहत) तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं लब्बैक का अर्थ है कि ऐ अल्लाह! हज और उमरा में से जिस चीज़ की तूने दावत दी है मैंने कुबूल किया।

(२) मीक़ात से एहराम बांध कर जब आप मक्का पहुचें तो उमरा के लिये खा-न-ए काबा का सात बार तवाफ करें, तवाफ को हजरे असवद से शुरू करें और वहीं ख़तम करें। फिर अगर आसानी हो तो मक़ामे इब्राहीम के पीछे क़रीब हो कर दो रकात नमाज़ पढ़ें वर्ना दूर ही पढ़ लें।

(३) नमाज़ पढ़ने के बाद सफा और मर्वा के दर्मियान सात बार सई करें यानी दौड़ लगाएं। सई की शुरूआत सफा से करें और मर्वा पर ख़तम करें।

(४) सई करने के बाद अपने सर के बाल कटवाएं अब आप का उमरा मुकम्मल हो गया अब अपने एहराम खोल दें।

हज

(१) हज को शुरू करने का तरीक़ा यह है कि आठवीं जिलहिज्जा की सुबह को मीक़ात से एहराम बांधें अगर संसाधन उपलब्ध हो गुस्ल कर लें और एहराम का लिबास (कपड़ा) पहन लें और कहें, लब्बैक हज्जतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्मदा वन नेमता लका वल मुलको ला शरीका लक'' ऐ अल्लाह हज के लिये हाज़िर हू, हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे पास हाज़िर हूं, बेशक तमाम तारीफ, नेमत और मुल्क (बादशाहत) तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं है''

(२) फिर मिना की तरफ लौटें और वहां जुहर, अस्र, मग़्रिब, इशा और फज्र की नमाज़ क़स्र के साथ पढें यानी चार रकात वाली नमाज़ को दो रकात पढ़ें।

(३) जब सूरज निकल जाए तो अर्फा की तरफ रवाना हो जाएं और जुहर अस्र की नमाज़ जमा तक़दीम के साथ दो-दो रकात पढ़ें और अर्फ़ा में सूरज डूबने तक ठेहरे रहें और क़िबला का इस्तेक़बाल (किबले की तरफ चेहरा करके) ज्यादा से ज़्यादा दुआ में व्यस्त रहें।

(४) सूरज डूब जाए तो अर्फ़ा

करें और वहां मग़्रिब, इशा और फज्र की नमाज़ पढ़ें फिर ज़िक्र व अज़कार के लिये सूरज निकलने तक ठेहरे रहें। अगर कमज़ोर हैं, कंकरी मारते वक़्त लोगों की भीड़ की वजह से ताक़त नहीं रखते तो कोई हर्ज नहीं रात के आख़िरी हिस्से में मिना की तरफ चले जाएं ताकि लोगों की भीड़ से पहले शैतान को पहले कंकरी मारें।

(५) जब सूरज निकलने का वक़्त करीब हो जाए तो मुज़दलफ़ा से मिना की तरफ रवाना हो जाएं, और निम्न लिखित काम अंजाम दें।

क़-जमु-र-ए-अक़बा को यह जमुरा मक्का से ज़्यादा क़रीब है, सात कंकरियां लगातार मारें और हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहो अकबर कहें।

ख. फिर कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें, इसमें से खुद खाएं और फक़ीरों में तक़सीम करें हद्य (कुर्बानी का जानवर) हज्जे तमत्तोअ् और हज्जे क़िरान करने वाले पर वाजिब है।

ग. अपने सर के बाल मूंडें या काटें लेकिन मूंडना अफजल है। और औरत एक पोर के बराबर बाल काटे। अगर आसानी हो तो यह तीनों काम ऊपर बताई गई तर्तीब के मुताबिक़् करें।

६. फिर मक्का जाएं और तवाफे इफाज़ा (हज का तवाफ) और सफा मर्वा की सई करें तवाफे इफ़ाज़ा के बाद आप पूरे तौर पर हलाल हो गए हैं और एहराम की हालत की तमाम चीज़ें आपके लिये हलाल हो गईं।

७. सई और तवाफ के बाद आप मिना की तरफ निकलें और वहां दस्वीं बारहवीं जिलहिज्जा की रात गुज़ारें।

८. फिर ग्यारहवीं और बारहवीं ज़िल हिज्जा को जवाल के बाद तीनों जमुरात को कंकरी मारें, पहले जमुरा से शुरू करें यह मक्का से सबसे ज़्यादा दूर है फिर उस्ता फिर जमु-र-ए अक़बा, हर एक को सात कंकरियां लगातार अल्लाहोअकबर कहते हुए मारें और जमु-र-ए-ऊला और जमु-र-ए उसता की रमी के बाद किबला की तरफ रूख़ करके अल्लाह से दुआ मांगें। इन दोनों में ज़वाल से पहले रमी (कंकर मारना) जायज़ नहीं है।

९. जब आप बारहवीं ज़िलहिज्जा को रमी मुकम्मल करें और अगर जलदी निकलना चाहें तो सूरज डूबने से पहले मिना निकल जाएं अगर चाहें तो ताखीर करें और यही अफ़ज़ल है (चुनान्चे ताखीर की सूरत में) तेरहवीं रात मिना में गुज़ारें और ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद इस दिन भी जमुरात को वैसे ही कंकरी मारें जैसा कि बारहवीं ज़िल हिज्जा को मारे थे।

जब आप वापसी का इरादा कर लें तो तवाफ विद्अ करें लेकिन हैज़ और निफास वाली औरतों के लिये तवाफे विदाअ नहीं है।

हज और उमरा का एहराम बांधनें वालों के लिये ज़रूरी है कि वह निम्न बातों का ख्याल रखें।

१. अल्लाह ने जो दीनी बातें फर्ज़ की हैं उन पर लाज़िमी तौर पर अमल करें मिसाल के तौर पर नमाज़ की पाबन्दी।

२. जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है उससे परहेज़ करें जैसा संभोग, फिस्क़ व फुजूर पाप और नाफरमानी से जैसा कि अल्लाह ने कुरआन में फरमाया हैः

''जिस किसी ने इन महीनों में हज करना अपने ऊपर लाज़िम कर लिय तो वह बीवी से जिमअ् (संभोग, शारीरिक संबन्ध) न करे और गुनाह की कोई बात करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे''। (सूरे बक़रा-१९७)

३. हज के स्थानों पर अपनी करनी और कथनी से किसी को नुक्सान न पहुँचाए।

४. एहराम की हालत में तमाम मना की गई बातों से परहेज़ करें। मिसाल के तौर पर

क. अपने नाखून और बाल

न काटें

ख. एहराम बांधने के बाद अपने बदन और कपड़े में खुश्बू न लगाएं, न खुश्बू दार साबुन से पाकी हासिल करें लेकिन अगर एहराम बांधने के मौके पर इस्तेमाल किये गये खुश्बू का असर बाकी रहे तो कोई हर्ज़ नहीं

ग. खुश्की के हलाल जानवर का शिकार न करें।

ध. संभोग न करे न कोई ऐसी बात करें जिससे उत्तेजना पैदा हो।

ड. अपना या दूसरे का निकाह न करें और इसी तरह अपने या दूसरे के लिये शादी का पैगाम न दें।

च. दस्ताना न पहनें।

ऊपर बयान की गयीं बातें औरत मर्द दोनों के लिये आम हैं।

मर्द के लिये ख़ास अहकाम

क. अपने सर को टोपी से न छुपाएँ लेकिन छतरी, गाड़ी की छत, खेमा और पलासटिक से छाया प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं।

खः कमीस, अमामा, टोपी, शलवार और मोज़ा न पहनें लेकिन अगर तेहबन्द न मिले तो शलवार पहनें और जूते न हों तो मोज़े पहन लें। ग. अबा, क़बा और ताक़िया (पगड़ी के बीच टोपी) वगैरह पहनना भी मना है। जूता, अंगूठी, चश्मा, टेली स्कोप दूरबीन, घड़ी थैला या बैग वगैरह का पहनना या लटकाना जायज़ है। गैर खुश्बूदार चीज़ों से पाकी हासिल करें और अपने सर और बदन में मल लें और अगर मलने के दौरान बाल टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। औरत नक़ाब (जिससे चेहरा को ढांका जाता है और आंख खुली होती है) न पहने और बुर्का का इस्तेमाल भी न करे और औरत के लिये सुन्नत यही है कि अपना चेहरा खुला रखे लेकिन महरम हज़रात के सामने हालते एहराम वगैरह में भी पर्दा वाजिब है। (जरीदा तर्जुमान १-१५ जुलाई २०१६)

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

कुर्बानी के अहकाम व मसाइल

कुरबानी का मक़सद केवल गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मक़सद यह है कि कुर्बानी करने वाला यह स्वीकार करे कि हम आज जिस तरह इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं वह केवल एक नमूना है अगर ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और नेकी की प्रेरणा और बुराई को रोकनें में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं और देश व समाज और मानवता के विकास एवं उत्थान के लिये हमेशा तत्पर हैं।

हज़रत अली रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कुर्बानी के चार दिन हैं एक ईदुल अज़्हा का दिन (अर्थात १० जिलहिज्जा) और तीन दिन इसके बाद (नैलु अवतार भाग-५ पृष्ठ-१३५)

हज़रत अली, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजियल्लाहो अन्हुम, हज़रत अता, हज़रत हसन बसरी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलैमान बिन मूसा, इमाम अबू दाऊद, अन्य सहाब-ए-किराम, प्रतिष्ठित ताबईन, तबअ् ताबईन, और मुहद्दिसीन का भी यह मसलक है कि १० जिलहिज्जा के बाद तीन दिन और कुर्बानी करना जायज़ और दुरूस्त है। (मुस्लिम भाग-२, पृष्ठ १५२)

जुल हिज्जा के दस दिन का अर्थः- जुलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले चार महीनों में से एक, जुलहिज्जा महीने के दस्वें दिन ईदुल अजहा का पहला दिन होता है इन दस दिनों का बयान कुरआन में विशेष तौर से हुआ है (सूरे हज)

इन दस दिनों की अहमियत इस से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह ने इन दिनों की सौगन्ध (क़सम) खाई है। (सूरे फज्र)

इन दस दिनों के आमाल का मुकाबला इन्हीं जैसे आमाल से होगा, मतलब यह है कि इन दिनों की नफली इबादत दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। इन दिनों की फर्ज इबादत दूसरे दिनों की फर्ज इबादत से अफज़ल है। यह मतलब भी नहीं है कि इन दिनों की नफली इबादत आम दिनों की फर्ज इबादत से भी अफज़ल है। (पांच अहम दीनी मसायल)

जुल हिज्जा के दस दिनों में से एक दिन ९ जुलहिज्जा ऐसा है कि अल्लाह तआला ने इस में दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई थी। (सहीह़ बुखारी)

९ जुल हिज्जा के दिन अल्लाह तआला साल के बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है (सहीह़ मुस्लिम)

जुलहिज्जा का दस्वां दिन सब दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल है। (अबू दाऊद)

इन फजीलतों का कारण यह है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादतें जमा होती हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज सदका इन दिनों के अलावा और किसी दिन यह इबादतें जमा नहीं होतीं। (फतहुलबारी)

इन दिनों में लगन से इबादत

करनी चाहिये। (सुनन दारमी)

खास तौर से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ अल्लाह के लिये है का विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। (मुस्नद अहमद)

कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इन दिनों में तकबीरात कहते थे यहां तक कि बाज़ार में भी इन का विर्द करते और इनकी तकबीरात को सुन कर दूसरे लोग भी तकबीरात शुरू कर देते थे। (सहीह बुखारी)

९ जुलहिजा का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम)

हज करने वाले के लिये मुस्तहब है कि ९ जुलहिज्जा के दिन रोजा न रखे। (तोहफतुल अहवज़ी)

जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वह इन दस दिनों में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखुन आदि नहीं काट सकता। (सह़ीह़ मुस्लिम)

कुर्बानी का शाब्दिक अर्थः- कुर्बानी अर्बी जुबान के शब्द कुर्बान की बदली हुई शक्ल है और शाब्दिक पहलू से इस का अर्थ हर वह चीज है जिससे अल्लाह का तकर्रुब (निकटता) हासिल किया जाये, चाहे जबीहा हो या कुछ और। (अलमोजमुलवसीत)

कुछ ओलमा के नजदीक कुर्बानी का शब्द कुर्ब से बना है चूंकि इसके माध्यम से अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाती है इस लिये इसे कुर्बानी कहा जाता है।

परिभाषिक अर्थः- कुर्बानी का अर्थ ऊंट भेड़ और बकरियों में से कोई जानवर ईदुल अज़हा के दिन और तशरीक के दिनों ११,१२,१३ जुलहिज्जा में अल्लाह तआला का कुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये जबह करना है।

कुर्बानी का हुक्मः- जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी सुननते मुअक्कदा है। लेकिन अल्लामा शौकानी र-ह-म-हुल्लाह ने अपनी किताब अस्सैलुल जर्रार में दलायल (तर्क) लिखने के बाद लिखा है कि कुर्बानी वाजिब साबित होती है लेकिन यह वुजूब ताकत रखने वालों के लिये है जिसके पास माली ताकत नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। (मिर्आतुलमफातीह)

कुर्बानी के शरायतः-१. खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये हो। (सूरे बय्यना, सूरे माइदह)

२. पाकीज़ा माल से हो हराम माल से न हो। (सहीह मुस्लिम) ३. सुन्नत के अनुसार हो। अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसने सुन्नत की मुखालिफत की है। (सहीह बुखारी) ४. कुर्बानी का जानवर उन खामियों और कमियों से पाक हो जिन की बुनियाद पर शरीअत ने कुर्बानी करने से रोका है। दो दांता होना जरूरी है, अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का खेरा एक साल का कुर्बानी करना सहीह है। (मुस्लिम)

किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं

१. वाजेह तौर से काना हो। २. ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। ३. ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। ४. ऐसा कमज़ोर जानवर जिसमें चर्बी न हो। ५. कान में सूराख हो। (अबू दाऊद)

मसायलः-

- ❑ खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। (सहीह इब्ने माजा)
- ❑ हामिला (जिसके पेट में बच्चा हो) जानवर की कुर्बानी भी जायज है। (सहीह अबू दाऊद)
- ❑ हामिला जानवर का जबह करना ही पेट के बच्चे के लिये काफी है दिल चाहे तो उसे भी खाया जा सकता है,जबह करने की जरूरत नहीं।(सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के जानवर को खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहिये। (सही़ह़ बुखारी)

❑ ईद के पहले दिन कुर्बानी करना अफज़ल है क्योंकि यह दिन सब दिनों से अफजल है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के चार दिन हैं, १३ जुल हिज्जह को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। (सहीह अल जामिउस्सगीर)

❑ कुर्बानी के चार दिनों की रातों में भी कुर्बानी की जा सकती है।

❑ कुर्बानी करने का वक़्त ईदुलअज़्हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। (बुखारी)

❑ कुर्बानी के जानवर पर सवार होना जायज है। (बुखारी)

❑ जिस जानवर को कुर्बानी की निय्यत से खरीद लिया जाये उसे बेचना अवैध है (अस्सैलुल जर्रार अल्लामा शौकानी)

❑ जानवर कुर्बानी करने के बजाये उसकी कीमत का सदक़ा करना दुरूस्त नहीं है।(मिर्आतुल मफातीह)

❑ अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जनावर जबह कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद एक दूसरा जानवर जबह करना पड़ेगा। (सहीह बुखारी)

❑ ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है। (बुखारी)

घर में या किसी दूसरी जगह अगर कुर्बानी कर ली जाये तो दुरूस्त है क्योंकि ईदगाह में कुर्बानी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है और न सब लोग ऐसा कर ही सकते हैं।

❑ छुरी खूब तेज होनी चाहिये। (सहीह मुस्लिम)

❑ जानवर को किब्ला की तरफ करके जबह करना मुस्तहब है। (मौकूफ इब्ने उमर)

❑ कुर्बानी वाले जानवर के पहलू पर जबह के वक़्त पांव रखना मसनून है। (बुख़ारी)

❑ बिसमिल्लाह वल्लाहु अक्बर पढ़कर जानवर को नह्र या जबह किया जायेगा (बुख़ारी)

❑ दांत और नाखुन को छोड़कर हर ज़बह कर देने वाली चीज से जानवर जबह किया जा सकता है। (बुखारी)

❑ मालिक का अपने हाथ से जानवर जबह करना अफजल है (बुखारी)

❑ लेकिन दूसरे से भी जबह करवाया जा सकता है। (बुखारी, अबू दाऊद)

❑ औरत भी जानवर जबह कर सकती है।(बुखारी)

❑ अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जबह करने वाला लानती है। (सहीह मुस्लिम)

❑ पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ही किफायत कर जायेगा (सहीह तिर्मिजी)

कुर्बानी करते वक़्त तकबीर के साथ साथ ''अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी अव मिन फुलां'' ऐ अल्लाह मेरी तरफ से या फुलां की तरफ से कुबूल फरमा कहना भी दुरूस्त है। (मुस्लिम)

कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों पर सदक़ा किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। (सूरे हज)

❑ गोश्त को बराबर तीन हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है क्योंकि शरीअत ने इसकी पाबंदी नहीं लगाई बलकि इसके विपरीत नबी स० ने जी भर खाने की इजाजत दी है। (सहीह तिर्मिज़ी)

❑ लेकिन यह जहन में रहे कि इस हदीस में जहां खाने का बयान है वहां खिलाने का भी जिक्र है। इस लिये इतना ना खाया जाये

कि हदीस के अगले हुक्म ''खिलाओ'' पर अमल न हो सके।

❑ अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जखीरा (जमा) करना चाहे तो शरई (इस्लामी क़ानून के) एतबार से इसकी इजाजत है। (बुखारी)

❑ गैर मुस्लिम अगर मुस्तहिक (पात्र) है तो उसे भी गोश्त दिया जा सकता है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा)

❑ कुर्बानी की खाल का मसरफ (खर्च करने की जगह) वही है जो गोश्त का है। (बुखारी)

❑ कर्जदार आदमी कुर्बानी कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं जो उसे कुर्बानी करने से रोकती हो। (पांच अहम दीनी मसायल)

❑ हज के लिये जो ऊंट खरीदा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात अफराद शरीक हो सकते हैं। (मुस्लिम)

कुर्बानी करने वाले अफराद जुलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखुन नहीं काट सकते। (मुस्लिम)

''कुर्बानी एक प्रकार की उपासना है जो अल्लाह के लिये की जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग आदम के दो बेटों ने किया था जिसकी ओर कुरआन संकेत करता है। ''और इन्हें आदम के बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो जबकि दोनों ने कुर्बानी की, तो उनमें से एक की कुर्बानी कुबूल हुई, दूसरे की कुबूल नहीं हुई।'' (सूरे न० ५ अलमाइदा-आयत न० २७)

''इस्लाम धर्म से पहले कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति थी लेकिन इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया'' ।(कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया पृष्ठ २१३ लेखक प्रोफेसर डा० मुहम्मद ज़िया उर्रहमान आज़मी)

''खुशी और हर्ष व उल्लास मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसी जिन्दगी को जो खुशी और हर्ष व उल्लास से खाली हो वह अजीरन है। यही वजह है कि दुनिया के अन्दर जितनी भी क़ौमें और मिल्लतें (समुदाय) पाये जाते हैं सभों के यहाँ रंज व ग़म और दुख व तकलीफ से आज़ाद होकर खुशियाँ मनाने के चन्द विशेष दिन होते हैं जिनके आने पर वह अपनी खुशी का इज़हार करते हैं जिन्हें ईद या त्यौहार या पर्व कहा जाता है। चूंकि इस्लाम इन्सानी फितरत के अनुकूल एक विश्वव्यापी धर्म है इसलिये उसने भी शुरू ही से इन्सानी फितरत (स्वभाव) का ख्याल किया है और अपने मानने वालों को एक साप्ताहिक ईद जुमा की शक्ल में और दो वार्षिक ईद ईदुल फित्र और ईदे कुरबां की शक्ल में दिया है।'' (ईदे कुरबां के अहकाम व मसाइल, एक तहकीकी जायज़ा'')

इस्लाम ने खुशी मनाने का एक सिद्धांत तय किया है। आम तौर पर लोग खुशी के मौके पर इस तय शुदा सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उनसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो लोगों के हानि और दुख पहुंचने का सबब बन जाता है। इस्लाम ने खुशी मनाने का जो उसूल तय किया है उसी के अनुसार खुशी मनानी चाहिए ताकि ईद (खुशी) हमारे लिये संसार के पालनहार की सामीप्ता प्राप्त करने का माध्यम बन सके और यह केवल खुशी ही तक सीमित न होकर अल्लाह की उपासना का भी माध्यम बन जाए हमें इसी पहलू से ईद मनानी चाहिए कि इससे हमारा पालनहार भी खुश हो जाए और हम ईद के माध्यम से लोगों की मदद भी कर सकें। ***(जरीदा तर्जुमान व अन्य किताबों से संकलित)***

आत्मघाती हमलों के बारे में

इमाम मुहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रह० का जवाब

जो लोग धमाकू समान इंसानों के पास ले जा कर धमाका कर देते हैं तो यह आत्महत्या के अंतर्गत आता है और जो अपने आप को कत्ल करे वह हमेशा के लिये जहन्नम में दाखिल होगा। इस का सुबूत और दलील सहीह बुखारी में मौजूद है। दूसरे यह कि जब आत्मघाती हमला करने वाला सौ दो सौ लोगों को मार डालता है तो इस से इस्लाम को कोई फाइदा नहीं पहुँचता है। मरने वाले इस्लाम से लाभान्वित भी नहीं हुये और मर भी गये इस तरह की कारवाई से गैरों के अंदर प्रतिशोध की भावना पैदा होती है जिस की वजह से मुसलमानों को पकड़ते और क़त्ल करते हैं।

फिलिस्तीनियों के साथ यहूदियों के व्यवहार की मिसाल हमारे सामने है कोई एक या दो मरता है उस के बदले में दर्जनों पकड़ लिये जाते हैं इस में मुसलमानों को कोई फाइदा नहीं और न ही मरने वालों का कोई फाइदा हुआ।

कुछ लोग अपने आप को नाहक कत्ल करके जहन्नमी हो जाते हैं, ऐसा करने वाला शहीद नहीं हो सकता।

सवालः- आत्मघाती हम्ला करने वाले का क्या हुक्म है। क्या वह आत्महत्या का अपराधी है और हमेशा जहन्नम में रहेगा? क्या वह इसी तरीके से आखिरत में अपने आप को कत्ल करता रहेगा जिस तरह दुनिया में मरा है जैसा कि हदीसों में आता है?

जवाबः- जो कुरआन की इस आयत ''और अपने आप को कत्ल मत करो अल्लाह तुम पर मेहरबान है'' (सूरः निसा) को पढ़ने के बावजूद आत्मघाती हम्ला करते हैं तो ऐसे लोगों पर आश्चर्य होता है। क्या ऐसा करने से उन को कुछ फाइदा हो सकता है? क्या दुश्मन हार मान लेता है। इन धमाकों से दुश्मनी और बढ़ जाती है, यहूदी मुल्क की मिसाल हमारे सामने है जहाँ की एक पार्टी ने अर्बों को खत्म कर देने का मन बना लिया था।

जो लोग धमाकू सामान लेकर इंसानों के भीड़ में जा कर धमाका करते हैं तो यह खुदकुशी (आत्महत्या) है और जिस ने आत्महत्या की तो हदीस के अनुसार वह हमेशा के लिये जहन्नम में जायेगा। इस लिये कि उस ने इस्लाम की खातिर खुदकुशी नहीं की। उस के मरने से दस, सौ या दो सौ के मरने से इस्लाम का कोई फाइदा नहीं हुआ इस आत्मघाती हमले की वजह से दुश्मन मुसलमानों पर जानलेवा हमला करते हैं जैसा कि फिलिस्तीन में यहूदी कर रहें हैं। एक आदमी ६-७ लोगों की जान ले लेता है लेकिन इस के बदले में ६०-७० मुसलमान गिरफतार कर लिये जाते हैं इस से तो मुसलमानों

का नुक्सान हुआ।

हमारी समझ से कुछ लोगों का यह काम सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या है ऐसा करने वाला हमेशा के लिये जहन्नम में जायेगा।

इस्लाम ने इंसानों के जान व माल और आबरू को महफूज कर दिया है उन की बेहुर्मती को सख़्ती के साथ हराम करार दिया है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज्जतुलविदा के मौके पर फरमाया था ''बेशक तुम्हारा खून तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है जिस तरह आज के दिन महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है''। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''क्या मैं ने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? ऐ अल्लाह तू गवाह रह'' आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''हर इंसान के ऊपर दूसरे इंसान का खून, माल और इज्जत हराम है''। (सहीह मुस्लिम) नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जुल्म से बचो इस लिये कि जुल्म कियामत के दिन की तारीकियों (अंधेरों) में से है'' (सहीह मुस्लिम)

अल्लाह तआला ने किसी बेकुसूर को मारने पर सख़्त सजा सुनाई है और मोमिन के बारे में अल्लाह तआला का फरमान हैः ''और जो शख्स मोमिन को जान बूझ कर कत्ल कर डाले तो उस का बदला जहन्नम है जिस में वह सदा रहेगा और अल्लाह का ग़ज़ब और लानत उस पर होगी और उस के लिये बड़ा अजाब तैयार है''। (सूरः निसा-९३)

जिम्मी को गलती से कत्ल के बारे में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''और अगर तुम्हारे मुआहिदा-दार हों तो उस के वारिसों को खूँ बहा देना और एक गुलाम मुसलमान का आजाद करना जरूरी है'' (सूरः निसा-९२)

जब जिम्मी के कत्ल के बदले में मृतक के परिजनों को पैसा देना पड़ेगा और कफ्फारा अदा करना पड़ेगा तो जानबूझ कर कत्ल करना उस से भी बड़ा जुर्म और गुनाह है।

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जिस ने किसी मुआहदा-दार को क़त्ल किया वह जन्नत की खुश्बू नहीं पायेगा'' (बुखारी, मुस्लिम)

३ः- सुप्रिम ओलमा कोंसिल एलान करती है कि इस गलत अकीदे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बेकुसूरों का क़त्ल, माल को तबाह करना और इमारतों को उड़ाना ढ़ाना आदि मुज्रिमाना (अपराधिक) काम हैं जिन का इस्लाम से कोई संबन्ध नहीं है।

इसी तरह सच्चे पक्के मुसलमानों का इन गलत कामों से कोई संबन्ध नहीं है। यह सब बिगड़े अधर्म लोगों का काम है, इन का जुर्म इस्लाम और उसके अनुयायियों पर नहीं थोपा जायेगा। कुरआन में अपराधियों के साथ रहने से भी रोका गया है। अल्लाह तआला फरमाता हैः ''और बाज लोग ऐसे हैं जिन की बातें तुझ को दुनिया में भली मालूम होती हैं और जो कुछ दिल में है उस पर अल्लाह को गवाह करता है हालाँकि वह तुम्हारा दुश्मन है। और जब फिर जाता है

तो जमीन में दौड़ धूप करता है कि उस में फसाद फलाए औार खेतों को बर्बाद करे और चौपायों की नस्ल को मार दे। और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता ।और जब कोई उसे कहता है कि अल्लाह से डर तो अकड़खी की वजह से गुनाह पर अड़ जाता है, पस जहन्नम उस को काफी है'' (सूरः बकराः २०४-२०६)

सारी दुनिया के मुसलमानों पर यह जरूरी है कि वह एक दूसरे को ईमान और नेक अमल का उपदेश दें एक दूसरे का खैर खुवाह (शुभचिंतक) बनें, नेकी और तक़्वा की बुनियाद पर सहयोग करें। भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकने की कोशिश करें। अल्लाह तआला का फरमान हैः ''और नेकी और तक़्वा के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म पर मदद न किया करो और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला है'' (सूरः माइदाः२)

अल्लाह तआला फरमाता है : ''मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के रफीक़ (साथी संबन्धी) हैं। भले कामों का हुक्म करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं उन्ही पर अल्लाह रहम करेगा बेशक अल्लाह बड़ा गालिब बड़ी हिक्मत वाला है''। (सूरः तौबाः७१)

अल्लाह तआला फरमाता है : ''कसम है जमाने की बेशक इंसान (सरासर) नुक्सान में है। लेकिन जिन लोगों ने ईमान कुबूल करके नेक अमल किये और दूसरे को हक पसन्दी की नसीहत करते रहे। (वह नुक्सान और घाटे में नहीं) (सूरः अस्रः१-३)

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान हैः ''दीन खैरखुवाही का नाम है, आप ने यही वाक्य तीन बार कहा। कहा गया किस के लिये ऐ अल्लाह के रसूल! आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह के लिये, उस की किताब के लिये, उस के रसूल के लिये, मुसलमानों के एमाम और जनता के लिये''।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''मुहब्बत मेहरबानी में मुसलमानों की मिसाल उस जिस्म की तरह है कि जब उस के जिस्म के किसी हिस्से को कोई तक्लीफ पहुँचती है तो पूरा जिस्म बेखुवाबी और बुखार में तड़प उठता है'' (बुखारी, मुस्लिम)

इस मफहूम (भाव) की बुहुत सी आयतें और हदीसें हैं।

अल्लाह तआला तमाम इंसानों की कठिनाइयों को दूर करे तमाम शासकों को भलाई की तौफ़ीक दे और तमाम मुसलमानों की हालत दुरूस्त फरमाये। अल्लाह ही हर चीज़ पर क़ादिर है।

२. गुमराह लोगों की हिदायत के लिये दुआ की जाये अगर वह नसीहत के मुहताज हैं तो उनको नसीहत की जाये, अगर कोई भ्रम है तो उसको दूर किया जाये। ऐसी सूरत में संभव है कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। जिस तरह इब्ने अब्बास की कोशिशों से कुछ बागी लोगों को हिदायत मिली थी। इस तरह के फित्नों के वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिये क्योंकि अल्लाह ही हिदायत और निजात देने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल भी अपनी दुआ में कहते थे ऐ अल्लाह! मुझे उन मामलों में रहनुमाई

फरमा जिसमें लोग तेरे हुक्म से इख़्तिलाफ करते हैं बेशक जिसे तू चाहे सीधे रास्ते की हिदायत देता है तो फिर हमारी क्या हैसियत है हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिये। हम अपने लिये भी दुआ करें और ऐसे शख्स के लिये भी दुआ करें जिस के बारे में मालूम हो कि वह सहीह रास्ते से हट गया है या गुमराह हो गया है या किसी के दीन और इज्जत पर हमला करता है या कोई गलत बात करता है। ऐसे मौके पर सब्र की जरूरत है। क्योंकि मखलूक की इस्लाह करना जिंदगी का अहम मकसद है।

सवाल– कुछ लोग इंसानों के खिलाफ हिंसा को जाइज (वैध) समझते हैं। इस बारे में आप की क्या राय है?

जवाबः– यह तरीक़ा गलत है क्योंकि इस्लाम हिंसा का विरोधी है। अल्लाह तआला फरमाता हैः

''अपने पर्वरदिगार की राह की तरफ होशियारी और बेहतरीन नसीहत से लोगों को बुलाता रह और (बहस) की नौबत आये तो बड़े अच्छे ढंग से उनके साथ बहस किया कर।'' (सूरः नहल १२५)

अल्लाह तआला ने मूसा और हारून अलैहि० से फिरऔन को समझाने का तरीका बताते हुये फरमाया ''पस जा कर उससे नर्म बात करना शायद वह समझ जाये या डर जाये। (सूरः त्वाहा-४४)

हिंसा का मुक़ाबला हिंसा से करने से उल्टा नतीजा सामने आता है, इंसानों का नुक्सान होता है। हिंसा और सख्ती का बर्ताव इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है। मुसलमानों को नबी और कुरआन की तालीम को अपनाना चाहिये। उपर्युक्त कुरआन की आयात, अहादीस, सहाबा और शोधकर्ता ओलमा के बयानात को जब कोई इंसाफ पसंद सुन और पढ़ ले गा तो उसे इस बात का यकीन हो जायेगा कि उसका कोई कर्म या बात अल्लाह से छिपी हुयी नहीं है और अल्लाह के सामने जवाबदेह (उत्तरदायी) है लेकिन जो हठधर्म होगा उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हम अल्लाह से तमाम इंसानों की भलाई चाहते हैं वही इसका मालिक और इस पर कादिर है। **(साभारः ''आतंकवाद के विरोध में अहले हदीस ओलमा के फ़तावे'')**

(प्रेस रिलीज़)

शव्वाल १४४४ का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, २१ अप्रैल २०२३

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ रमज़ानुल मुबारक १४४४ हिजरी अर्थात २१ अप्रैल २०२३ को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और शव्वाल के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक २२ अप्रैल २०२३ शनिवार के दिन शव्वाल की पहली तारीख होगी और इदुल फित्र अदा की जायेगी। इन्शाअल्लाह

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाएँ एवं उपदेश

❑ अल्लाह के रसूल (पैग़म्बर) मुहम्मद सल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने अल्लाह की खुशी के लिये मस्जिद बनायी तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में वैसा ही घर बनायेगा। (बुखारी-४५०)

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मुझ से रसूल स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स का आखिरी कलाम ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' हो वह जन्नत में जायेगा। (अबू दाऊद ३११६)

❑ अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमायाः जुल्म और ज्यादती और रिश्ता नाता तोड़ना यह दोनों ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह तआला आखिरत की सजा के साथ दुनिया ही में इसकी सजा दे देता है। (तिर्मिज़ी २५११, अबू दाऊद ४९०२)

❑ अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमाया रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है और कहता है, जो मुझे मिलाये, अल्लाह उसे अपने साथ मिलाये और मुझे तोड़े अल्लाह उसे अपने से तोड़े। (मुस्लिम २५५५)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः किसी मिस्कीन पर सदक़ा करना केवल सदका है और अगर यही सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाये तो इसकी हैसियत दो गुना हो जाती है एक सदके का सवाब और दूसरे रिश्तेनातेदारी जोड़ने का सवाब। (तिर्मिज़ी ६५८)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे रिश्ता नाता जोड़े रहना चाहिये।

❑ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल स०अ०व० को फरमाते हुए सुना कि जिस किसी मुसलमान के मरने पर चालीस ऐसे आदमी जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दें जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों तो अल्लाह तआला उनकी सिफारिश उसके हक़ में कुबूल करता है। (मुस्लिम-९४८)

❑ अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमाया जो शख्स किसी के जनाज़े में नमाज़ की अदायगी तक शामिल रहे तो उसे एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि कीरात का क्या अर्थ है तो आप ने फरमायाः दो बड़े पहाड़ अर्थात नमाज़े जनाज़ा और तदफीन तक साथ रहने वाला दो बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लेकर वापस लौटेगा। (सहीहुल बुखारी १३२५, सहीह मुस्लिम ९४५)

❑ हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि आपने फरमाया क्यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जायेगा, जाहिलियत बढ़ जायेगी और शराब पिया जायेगा ज़िना

(व्यभिचार) आम हो जायेगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने महल्लों में मस्जिदें बनाने उन्हें पाक साफ और खुश्बूदार रखने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

❑ पैगम्बर मुहम्मद स० ने फरमायाः जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बागों में से हो तो उसके फल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत के बाग कौन से हैं? तो मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि मस्जिदें हैं।

❑ पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः मोमिन की मौत के बाद उसके कर्म और अच्छे कामों से जिसका उसे सवाब मिलता है वह सात हैं। इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया और फैलाया २. नेक लड़का ३. कुरआन मजीद, जिसका किसी को इल्मी वारिस बनाया। ४. मस्जिद जिसने बनवायी ५. घर जो मुसाफिरों के लिये बनवाया। ६. नहर ७. सदक़ा जो अपनी जिन्दगी में स्वस्थ होने की हालत में दिया। इन सात कामों का सवाब मौत के बाद भी इन्सान को मिलता रहता है।

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता है कि वह चीख उठता है उसकी चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०. १३३८)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः रिश्ता नाता जोड़ने से खानदान में मुहब्बत बढ़ती है माल में बढ़ोतरी होती है और उमर में बरकत होती है। (तिर्मिज़ी) नवास बिन समआन रजिअल्लल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन कुरआन, उसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों को लाया जायेगा उस वक्त सूरे बकरा और आले इमरान उस के आगे आगे होगी। (मुस्लिम ८०५)

मअ्क़िल बिन यसार रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फितनों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (मुस्लिम २६४८)

नौमान बिन बशीर रज़िल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन सबसे हलका अज़ाब उस जहन्नमी शख्स को होगा जिसके दोनों पांव के तलवों में केवल आग की जूतियां होंगी जिसकी वजह से उसका दिमाग खौलेगा जिस तरह से मिरजल (हांडी) और कुमकुम (बर्तन का नाम) खौलता है। (बुखारी ६५२२ मुस्लिम २१३)

अबू अय्यूब अनसारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः किसी शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि अपने किसी भाई से तीन दिन से ज्यादा के लिये मुलाकात छोड़े इस तरह कि जब दोनों का सामना हो जाये तो यह

भी मुंह फेर ले और वह भी मुंह फेर ले और उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। (बुखारी ६०७७ मुस्लिम २५६०)

उमर बिन अबू सलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से कहाः ऐ लड़के खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। (बुख़ारी ५३७६ मुस्लिम २०२२)

मुगीरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक मेरे ऊपर झूठ बांधना किसी दूसरे पर झूठ बांधने की तरह नहीं है जिस ने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बाधा तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम मे बना लेना चाहिये। (बुख़ारी १२९१ मुस्लिम ४)

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जहन्नम बराबर कहेगी ''और चाहिये'' लेकिन जब अल्लाह अपने पैर को उसमें रख देगा तो कहेगी बस बस तुम्हारी इज्जत की कसम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाये जा रहा है (बुख़ारी २८४८, मुस्लिम ६६६१)

हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः खरीदने और बेचने वाले जब तक एक दूसरे से अलग न हो जायें उन्हें यह इख्तियार बाकी रहता है अब अगर दोनों ने सच्चाई अपनायी और हर बात साफ साफ बयान किया तो उनके बेचने और खरीदने में बरकत होती है और अगर झूठ बोला और कोई बात छिपायी तो उनकी तिजारत से बरकत खत्म कर दी जाती है। (बुखारी २११० मुस्लिम १५३२) अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान के लिये अमीर की बात सुनना और उसकी एताअत करना जरूरी है उन चीज़ों में भी जिन्हें वह पसन्द करे और उनमें भी जिन्हें वह नापसन्द करे जब तक उसे मअ़सियत का हुक्म न दिया जाये कि जब उसे मअ़सियत का हुक्म दिया जाये तो न सुनना बाकी रहेगा न एताअत करना। (बुखारी ७१४४, मुस्लिम १८३०)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः गैब की पांच कुंजियां हैं जिन्हें केवल अल्लाह ही जानता है मां के पेट में क्या है केवल अल्लाह जानता है, आने वाले कल में क्या होगा केवल अल्लाह ही जानता है बारिश कब होगी केवल अल्लाह जानता है किसी की मौत किस जगह होगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है और क्यामत कब काइम होगी सिर्फ अल्लाह जानता है। (बुखारी ७३७६)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आंधी चलती तो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कहते ''अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा उर सिलत बिही व अ जू बिका मिन शर रिहा व शर्रे-मा फीहा व शर्रे-मा उर सिलत बिहि'' (मुस्लिम८९६)

बीमार का हाल चाल मालूम करने का पुण्य

डा० रफीउल्लाह मसऊद तैमी

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर मुसलमान के पाँच हक हैं सलाम का जवाब देना, बीमार का हाल चाल पूछना, जनाजों में पीछे चलना, दावत को कुबूल करना और छींकने वाले की छींक का जवाब देना। (बुखारी-१२४० मुस्लिम-२१६२)

मुस्लिम की रिवायत में छः अधिकार बयान किये गये हैं जब वह भलाई माँगे तो उसके साथ भलाई की जाये, मिसाल के तौर पर कर्ज देना, मश्वरा देना, गरीब की मदद करना।

सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का यह रूटीन था कि जब कोई आस पड़ोस में बीमार पड़ जाता था तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसका हाल चाल मालूम करने जाते थे, इस मामले में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था सब का हाल चाल मालूम करते थे। किसी बीमार का हाल मालूम करना उसको तसल्ली देना अल्लाह के नजदीक एक प्रिय कर्म है मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह तआला क्यामत के दिन सवाल करेगा कि मैं बीमार था तो तुमने मेरी बीमारपुरसी नहीं की। बन्दा अल्लाह से कहेगा कि तू कहाँ बीमार था तो अल्लाह तआला उस बन्दे को वह अधिकार याद दिलाये गा कि मेरा अमुक बन्दा बीमार था तो तुमने उसकी इयादत नहीं की। इस हदीसे कुदसी में बीमार पुर्सी की अहमियत को उजागर किया गया है। अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया ''जब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान की इयादत करने जाता है तो वह बीमार के पास से वापस आने तक वह जन्नत के बागीचों में रहता है।

हज़रत अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कोई अपने भाई की इयादत के लिये मरीज के पास बैठे, वह सुबह को इयादत करे तो शाम तक सत्तर हज़ार फरिश्ते उसके लिये मगफिरत की दुआ करते हैं (तिर्मिज़ी ७७५) यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो हर एक को नहीं मिल सकती यह सौभाग्य वही पा सकता है जिसके दिल में दिखावा न हो, जाती भायदा न हो बल्कि वह अपने अधिकार को पूरी तरह से अदा करने के लिये अल्लाह की खुशी के लिये अपने भाई की इयादत करता हो। बीमार समाज के किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो इन्सान की हैसियत से उसके साथ हमदर्दी मुहब्बत का इज़हार करना इस्लामी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस्लाम अपने पैराकारों को यह आदेश देता है कि वह सबके साथ सौहार्द और सदभावना का रवैया अपनायें यह इस्लाम की खूबियों में से हैं कि वह सबके साथ सदव्यवहार और हमदर्दी करने का उपदेश देता है।

नज़्म

अतीक़ असर

ईमान लाओ! जो कहे ईमां किया करो
एहसान के चिराग से हर सू ज़िया करो
उलझन बढ़ाये रखने से कुछ फायदा नहीं
ऐ दोस्तो! ज़रूरी है सादा ज़िया करो
आओ बताएं क्या करो, क्या न किया करो
जब भी कभी हो मर्दे मुसलमां का सामना
तसलीम पहले, फिर ख़बरे दिल लिया करो
अज़्म जवाँ बुलंदी-ए-फिक्र व ख्याल हो
राहें खुलूसे कार से रोशन किया करो
दुश्मन के दिल की फ़तह है बस हुसने गुफ्तगू
किरदार की अदाओं से दिल ले लिया करो
दुनिया को यूं गुज़ारो कि राहे सफ़र है यह
बस इक निगाह का उसे मौक़ा दिया करो
दस्ते तलब से दस्ते अता है बुलन्द तर
तरके सवाल, मेहनत जां से किया करो
खुद अपने वास्ते जो पसन्दीदा शय न हो
तरग़ीब दूसरों को न इसकी दिया करो
यख़नी में और पानी मिलाओ नमक के साथ
अपने पड़ोसियों को भी तोहफ़ा दिया करो
हंस कर मिलो कि यह भी है इक सदक़ए लतीफ़

खुश हो के दूसरों को भी शादां किया करो
खंजर से या जुबान से हमला किसी पे हो
मरहम लगाओ चाक गिरीबां सिया करो
तौकरी बुजुर्गों की ज़रूरी है हर तरह
छोटों पे रहम व लुत्फ इनयायत किया करो
ऐश व निशात व फतह व ज़फ़र में नशा न हो
तलखा-बए हयात संभल कर पिया करो
गाहे एरादए सफर खौर हो अगर
हंगा-म-ए रिया से बचो तौरिया करो
इक दिल ही पूरे जिस्म में है मर्कज़ी मकाम
आलूदा हो तो इसको मुजल्ला किया करो
पहले क़रारे दिल से ठेहर जाओ अद्ल पर
यानी सबात व सब्र का फिर तौसिया करो
लायानी हो अमल कोई या कोई गुफ्तगू
इन नामुरादियों से हजर ही किया करो
शेअ्र व शुऊर व नगमा असर राह पर न थे
फन में हो हक़ नुमाई, अमल बेरिया करो

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति के सत्र में आतंकवाद की निंदा की गई

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध यक्षता में १८ मार्च २०२३ अनुसार २५ शाबान १४४४ हिजरी शनिवार को अहले हदीस कम्पलैक्स अबुल फज़ल इन्कलेव ओखला नई दिल्ली में मर्कज़ी जमीअत की कार्य समिति का एक महत्वपूर्ण सत्र हुआ। जिस में देश भर के अधिकांश राज्यों से आये प्रतिष्ठित कार्य समिति के सदस्यों, सूबाई ज़िम्मेदारान और विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

सभा का आरंभ डा० अब्दुल अजीज़ मदनी मुबारकपुरी की तिलावत से हुआ इस के बाद अमीर महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में तमाम प्रतिष्ठित सदस्यों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने अपने संबोधन में इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करने, भाईचारा, नैतिकता को अपनाने और मामलात में पारदर्शिता की नसीहत की। इसी तरह हर प्रकार के आतंकवाद, अशान्ति, गैर समाजी गतिविधियों की कड़े शब्दों में निन्दा की।

इसके बाद मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने अपनी रिपोर्ट पेश की जबकि कोषाध यक्ष अलहाज वकील परवेज़ ने आमदनी व खर्च के हिसाबात पेश किये जिस पर हाउस ने संतुष्टि का इज़हार किया। सत्र में जमीअत के कामों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कार्य समिति के सदस्यों ने मर्कज़ी जमीअत के नव चयनित पदधारियों को बधाई दी।

इस मीटिंग में देश व समुदाय से संबन्धित महत्वपूर्ण मामले विचाराध ीन रहे और सर्व सम्मति से चन्द करारदाद और प्रस्ताव पारित हुए क़रारदाद और प्रस्ताव का मूल लेख निम्न लिखित है।

❑ मौजूदा हालात में दावत और प्रचार का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है यह एक धार्मिक कर्तव्य है अब तक हम दूसरों तक इस्लाम की शिक्षाओं को पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, देश में बहुत से संगठन और संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना का मक़सद ही दावत व तबलीग़ रहा है। लेकिन अफसोस है कि इस सिलसिले में बड़ी लापरवाही पाई जा रही है। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र तमाम मुस्लिम संगठनों, संस्थाओं, सम्माननीय इमामों एवं ओलामा से अपील करता है कि वह संगठित एवं सुनियोजित तरीक़े से इस्लाम की शिक्षाओं को देश बन्धुओं तक पहुंचाएं ताकि हमारा वजूद दूसरों के लिये लाभकारी साबित हो। खास तौर से एकेश्वरवाद की आस्था की अहमियत व उपयोगिता को देश बन्ध ुओं तक पहुंचाने और इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में दूसरों की भ्रांतियों को दूर करने की भी ज़रूरत है।

❑ प्रिय देश में अन्य धर्मों के पेश्वाओं और धार्मिक किताबों के सम्मान की रिवायत रही है। देश का संविधान हमें अपनी धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार रहने और जीवन बसर करने की आज़ादी देता है लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि

कुछ लोग अपने राजनीतिक मकासिद को पूरा करने के लिये विशेष वर्ग की धार्मिक किताब की गलत व्याख्या और अपमान कर रहे हैं। कार्य समिति का यह सत्र सभी लोगों से एक दूसरे की धार्मिक किताब और ध ार्मगुरुओं का सम्मान करने और दूसरों की धार्मिक किताबों की गलत व्याख्या करने से बाज़ रहने की अपील करता है।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का मानना है कोविड-१६ के बाद से हमारे दीनी मदर्सों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अत्यंत ख़राब और काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। मदर्से चूंकि गरीब बच्चों की सबसे बड़ी शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक ज़रूरत को पूरी करते और हमारे धार्मिक केन्द्र हैं इसलिये इनको कोविड से पहले की हालत में लाना अत्यंत आवश्यक है अतः कार्यसमिति का यह सत्र मालदार और शुभचिंतकों से तमाम दीनी मदर्सों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की अपील करता है।

❑ देश में भड़काऊ बयानात बढ़ते जा रहे हैं, एक विशेष वर्ग का अपमान करने के लिये बाज़ सियासी लीडरान कानून से बेपरवा हो कर भड़काऊ बयानात के ज़रिये देश व समाज में नफरत का माहौल बना रहे हैं और देश को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं। कार्य समिति का यह सत्र ऐसे लीडरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील करता है ताकि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और विश्व-स्तर पर हमारे देश की जो क्षवि है वह बाकी रहे।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यसमिति का यह सत्र देश और विदेशों में होने वाले हर तरह की आतंकी घटनाओं और असमाजिक गतिविधियों की निन्दा करता है। कार्य समिति के इस सत्र का मानना है कि असमाजिक गतिविधि ायों और आतंकवाद को किसी विशेष धर्म से जोड़ना सरासर अन्याय और अनुचित है क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म आतंकवाद और असमाजिक गतिवधियों (सरगर्मियों) के लिये किसी को इजाज़त नहीं देता, आतंकवाद और गैर समाजी गतिविधियों को अंजाम देने वाला अपने इन कर्मों का स्वयं ज़िम्मेदार होता है।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति के इस सत्र का मानना है कि कानून विरोध ाी कामों एवं गतिविधियों का हर हाल में हतोत्साहन होना चाहिए लेकिन जिन आरोपियों को हमारी सम्माननीय अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है उनके जीवन को मामूल पर लाने के लिये सरकारों की तरफ से उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिये जो नौनवानों के भविष्य को बर्बाद करने का सबब बन रहे हैं।

❑ अल्पसंख्यकों विशेष रूप से देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुसलमानों की आर्थिक समाजी और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विभिन्न आयोगों और कमीटियों ने सरकारों को अपनी सिफारिशात पेश की हैं। मुसलमानों की शैक्षणिक, समाजी और आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हालत में है। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक समाजी और आर्थिक हालत को बेहतर बनाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों से इन सिफारिशात को लागू करने की मांग करता है।

❑ इस वक़्त मंहगाई, बेरोज़गारी देश की बड़ी समस्याओं में से हैं। मंहगाई की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन की आवश्यकताएं पूरी होनी मुश्किल हो रही हैं। कार्य समिति का यह सत्र

केन्द्र, राज्य सरकारों और अन्य संबन्धित संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजन करने और मंहगाई पर नियंत्रण पाने की अपील करता है।

❑ दहेज का चलन हमारे समाज के लिये अत्यंत परेशानदायक बनता जा रहा है। अब तो दहेज़ के बिना बेटियों की शादी करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। यह मुस्लिम समाज की भी एक समस्या बन चुकी है जिस के निवारण की सख़्त ज़रूरत है। कार्य समिति का यह सत्र देश के कल्याणकारी व समाजी संगठनों संस्थाओं, इमामों और खातीबों से अपील करता है कि वह साधारण और असाधारण लोगों को दहेज़ के नुक़सानात से अवगत करें और लोगों के बीच दहेज विरोधी जागरूता पैदा करें ताकि दहेज जैसे नासूर पर काबू पाया जा सके।

❑ कार्य समिति का यह सत्र तुर्की और सीरिया में जलज़ले से होने वाली भारी तबाही और जान व माल के बेतहाशा नुक्सान पर गहरे रंज व ग़म का इज़हार करते हुए मरने वालों के पसमांदगान, प्रभावितों और वहाँ की सरकारों से हार्दिक शोक और विश्व-समुदाय से अपील करता है कि प्रभावितों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद और जल्द से जल्द पुनर्वास में इक़दाम किया जाए। समिति का मानना है कि इस तरह की घटनाएं प्राकृतिक व्यवस्था का भाग है इन से हमें सबक़ हासिल करते हुए अपने पालन हार से तौबा व इस्तेगफार (क्षमायाचना) करना चाहिए।

❑ लड़ाई दुनिया के किसी भी भाग में हो निःसन्देह चिंताजनक है और यह पूरी मानवता के ज़ेहन व दिमाग़ और आर्थिक व समाजिक स्थिति को प्रभावित करती है ऐसे में ज़रूरी है कि संबन्धित देश अपने किसी भी विवाद को बात चीत के माध्यम से समाधान करने की कोशिश करें। लड़ाई किसी भी समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। कार्य समिति का यह सत्र दुनिया के प्रभाी देशों से कहीं भी होने वाली जंगों को रोकने के लिये हर संभव प्रयास की अपील करता है।

❑ फलस्तीन में इस्राईल की कार्रवाई शान्तिप्रिय देशों के लिये चिंता का विषय है। शांतपूर्ण फलस्तीन वासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर इस्राईल की कार्रवाई वैश्विक कानून और राष्ट्र संघ की करारदादों के बिल्कुल विपरीत है। मध्यपूर्व में अम्न व शान्ति की स्थापना के लिये इस्राईल को संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून का पाबन्द बनाना ज़रूरी है। यह पूरी मानवता के हित में है।

❑ मुल्कों के विकास में राजनयिक संबन्ध की बड़ी अहमियत है जिनका श्रंखला टूट जाने से अक्षतीयपूर्ण हानि होते हैं जब कि इस को ज़्यादा दिनों तक रखना किसी भी देश के हित में नहीं होता। हाल ही में दीर्घ अवधि के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबन्ध बहाल हुये हैं आशा है कि इससे दोनों देशों के बीच चौमुखी संबन्ध में बेहतरी आएगी। कार्य समिति का यह सत्र इन राजनयिक संबन्धों का स्वागत करता है और इसे सराहनीय दृष्टि से देखता है और आशा करता है कि दोनों देश राजनयिक तक़ाज़ों (सिद्धांतों) का पालन करेंगे और इस सिलसिले में आगे बढ़ते रहेंगे विशेष रूप से सऊदी अरब के अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा बेहतर व्यवहार रखने की प्रशंसा की गयी है।

❑ कार्य समिति के इस सत्र ने जमाअत व जमीअत और महत्वपूर्ण समुदायिक एवं समाजी हस्तियों के निधन पर गहरा रंज व गम व्यक्त करते हुए मरहूमीन के लिये मग्फिरत की दुआ की है।